समाहरणालय, अररिया
(आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

आदेश

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 15(सा0अनु0)/आ0प्र0 दिनांक 29.04.2015 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-06-भूकम्प, लघुशीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0001-मृत व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह अनुदान, विपत्र कोड-N2245061010001, मांग संख्या-39, यूनिट कोड-31 06 के अन्तर्गत इस जिला को **मो0 24.00 लाख (चौबीस लाख) रूपये** का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे निम्न अंचलों के अंचल अधिकारियों को उपावंटित किया जाता है:-

क्र0सं0	अंचल का नाम	पूर्व में उपावंटित राशि (लाख में)	उपावंटित राशि (लाख में)	कुल उपावंटित राशि (लाख में)
1	2	3	4	5
1	फारबिसगंज	0.00 (शून्य)	16.00 (सोलह लाख)	16.00 (सोलह लाख)
2	पलासी	0.00 (शून्य)	04.00 (चार लाख)	04.00 (चार लाख)
3	कुर्साकाँटा	0.00 (शून्य)	04.00 (चार लाख)	04.00 (चार लाख)
	कुल योगः-	**0.00 (शून्य)**	**24.00 (चौबीस लाख)**	**24.00 (चौबीस लाख)**

1. उपावंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित अंचल अधिकारी होंगे।
2. यह उपावंटनादेश दिनांक 25.04.2015 एवं 26.04.2015 को आये भूकम्प के मद्देनजर निर्गत किया जा रहा है।
3. उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाए जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाए अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
4. **उपावंटित राशि की निकासी यथा सम्भव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाए। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गयी राशि का डी0सी0 विपत्र महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाणपत्र इस कार्यालय को अचूक रूप से दिनांक 10.03.2016 तक भेज दिया जाए।**
5. पूर्व में उपावंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गयी है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाये, तो दिनांक 10.03.2016 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाए।
6. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लघु शीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाए। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाए अन्यथा आँकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. यह उपावंटनादेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि0(2)] दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
8. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 10.03.2016 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाए।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
अररिया

ज्ञापांक [illegible] /आ0प्र0, अररिया, दिनांक [illegible] वीं अप्रैल, 2015

प्रतिलिपिः अंचल अधिकारी, फारबिसगंज, पलासी तथा कुर्साकाँटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः वरीय कोषागार पदाधिकारी, अररिया/फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः अनुमण्डल पदाधिकारी, अररिया/फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः अपर समाहर्त्ता, अररिया/उप विकास आयुक्त, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

30/4/15

जिला पदाधिकारी,
अररिया